पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

सशक्त स्थायी समिति की 24वीं साधारण बैठक की कार्यवाही

दिनांक :- 20.06.2026

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- मौर्यालोक कम्पलेक्स, पटना।

यशपाल मीणा, भा.प्र.से.
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

रेशमी कुमारी
उप-महापौर
पटना नगर निगम

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

दिनांक-20.06.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 24वीं साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निम्नांकित माननीया / माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया,जिसकी उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

1. श्रीमती सीता साहू -महापौर, पटना नगर निगम
2. श्रीमती रेशमी कुमारी -उप-महापौर, पटना नगर निगम
3. श्री राज कुमार गुप्ता -सदस्य, सशक्त स्थायी समिति
4. श्री कुमार संजीत -सदस्य, सशक्त स्थायी समिति
5. श्री मनोज कुमार -सदस्य, सशक्त स्थायी समिति
6. श्री विनोद कुमार -सदस्य, सशक्त स्थायी समिति

Patna Municipal Corporation
Date: 20-07-2026
2026 11685
https://pmc.bihar.gov.in

निगम प्रशासन

1. श्री यशपाल मीणा, भा.प्र.से. - नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
2. श्री राजन सिन्हा - अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
3. श्री कृष्ण स्वरूप - अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
4. श्री विनय कुमार - अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
5. श्री रामाशीष शरण तिवारी - उप-नगर आयुक्त-सह- नगर सचिव, प0न0नि0
6. श्री ज्योत प्रकाश - उप-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
7. श्रीमती जया - उप-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
8. श्री बिन्दु रजक -- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम
9. श्री बब्लू गुप्ता - कार्यपालक अभियंता, विद्युत
10. श्रीमती पुण्य तरू - कार्य0पदा0पाटलीपुत्र अंचल
11. श्री निखिल कुमार - कार्य0पदा0, कंकड़बाग अंचल
12. श्रीमती श्रेया कश्यप - कार्य0पदा0 अजीमाबाद अंचल
13. श्री आशुतोष कुमार - कार्य0पदा0, पटना सिटी अंचल
14. श्री राम स्वरूप प्रसाद - कार्यपालक अभियंता,जलापूर्ति/पटना सिटी प्र0
15. श्री सुशील कुमार झा -- कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रगंडल
16. श्री आशीष प्रसाद --कार्य0 अभि, कंकडबाग/पाटलिपुत्र/बाँकीपुर प्र0
17. श्री अवधेश कुमार सिंह -- निजी सहायक, पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों एवं नगर आयुक्त तथा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का मैं अभिनन्दन करती हूँ। बैठक की कार्यवाही शुरू की जाय।

सीता साहू

मद संख्या-01	:-	**दिनांक-09.05.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 22वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**
अध्यक्ष	:-	कार्यवाही की सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।
श्री बिनोद कुमार	:-	माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-09.05.2026 को हुई सशक्त स्थायी समिति की 22वीं साधारण बैठक की कार्यवाही आज ही मिला है। इसे सम्पुष्ट किया जाय।
श्री मनोज कुमार	:-	माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।
श्री कुमार संजीत	:-	माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।
प्रस्ताव संख्या-609	:-	**सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-09.05.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 22वीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।**
मद संख्या-02	:-	**दिनांक-09.06.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 23वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**
अध्यक्ष	:-	कार्यवाही अप्राप्त है।
नगर सचिव	:-	कार्यवाही अगली बैठक में रखा जाएगा।
मद संख्या-03	:-	**सशक्त स्थायी समिति के प्रथम साधारण बैठक से 21वीं साधारण बैठक तक दिये गये योजनाओं की स्वीकृति तथा निगम पर्षद की प्रथम साधारण बैठक से 10वीं साधारण बैठक तक दिये गये योजनाओं की स्वीकृति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**
अध्यक्ष	:-	इस आशय का प्रतिवेदन अप्राप्त है, स्पष्ट करें।?
नगर आयुक्त	:-	मुख्य नगर अभियंता, सभी माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध करा दें।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-04 :- **दिनांक-13.01.2023 से अब तक 30.03.2026 तक बिना सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृति लिये बिना कितनी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया है और इन योजनाओं पर कितनी राशि व्यय हुई है की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष : बिना सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद से स्वीकृति लिये कितनी योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ है एवं कितना राशि व्यय हुए है, स्पष्ट करें।

मु0न0अभि0 :- सूची उपलब्ध है।

श्री बिनोद कुमार : माननीया अध्यक्ष महोदया, मुख्य नगर अभियंता द्वारा सभी सदस्यों को सूची बैठक के पूर्व में उपलब्ध कराना चाहिए था। आप बैठक में जो सूची दें रहे है। उसका समीक्षा करने का मौका नहीं मिल पाया।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, माननीय सदस्यों को सूची उपलब्ध करा दिया जाय। साथ ही कुछ योजनाएँ जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, उसे भी चिन्हित कर दें।

श्री मनोज कुमार :- नगर आयुक्त महोदय, जो भी योजना माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कराया गया है। उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी सशक्त स्थायी समिति एवं निगम पर्षद से लिया जा सकता था। आगे से इस पर ध्यान दिया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, श्री जल्ला वाले हनुमान जी का क्षेत्र, वार्ड संख्या-62 में पड़ता है लेकिन सूची में वार्ड संख्या-67 में अंकित हो गया है। उसे वार्ड संख्या-62 में अंकित किया जाय।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक अभियंता, योजना को संशोधित करते हुए सूची में सुधार कर लें।

मद संख्या-05 :- **कदम कुआँ वेंडिंग जोन में दुकानदारों का Rent Fix करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- कदम कुआँ वेंडिंग जोन में दुकानदारों का Rent Fix करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- कदम कुआँ वेंडिंग जोन में दुकानदारों का Rent Fix करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पिछली बैठक में भी कदम कुआँ वेंडिंग जोन में दुकानदारों को जो दुकान आवंटित किया गया है उसका Rent Fix करने से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अप्राप्त है। वेंडिंग जोन में दुकानदारों को निगम द्वारा सभी तरह की सुविधाएँ दी जा रही है। लेकिन दुकानदारों से कोई वसूली नहीं हो रही है।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता आपके द्वारा Rent Fixation करने का निदेश दिया गया था। क्या हुआ?

कार्य0पदा0(बाँ):- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में गये थे। पुनः Rent Fixation हेतु बुलाया गया है।

नगर आयुक्त :- Rent Fixation वहाँ के बाजार दर को देखते हुए स्वयं कर लें। साथ ही माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कदम कुआँ वेंडिंग जोन के दुकानदारों को कितना Rent Fix होना चाहिए?

श्री राज कुमार गुप्ता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि कदम कुआँ वेंडिंग जोन मुख्य बाजार में स्थित है, जहाँ उसके आस-पास बाकरगंज, हथुआ मार्केट, चूड़ी मार्केट है। जहाँ छोटे-छोटे जगह में बाजार है। वेंडिंग जोन में छोटे और बड़े दो तरह के दुकान है। मेरा सुझाव है छोटे दुकान के लिए 1000/- एवं बड़े दुकान के लिए 1500/- मासिक किराया होना चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वेंडिंग जोन में मुख्य रूप से सब्जी बिक्रेता एवं अन्य तरह के सामनों की बिक्री करने वाले दुकानदार हैं। माननीय सदस्य का सुझाव निगमहित में है।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-610:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कदम कुआँ स्थित वेंडिंग जोन में दुकान आवंटियों (दुकानदारों) का Rent Fixation निम्न प्रकार से करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

क्र0	दुकान का साईज	मासिक निर्धारित किराया
1	छोटा दुकान	1,000/- प्रति माह
2	बड़ा दुकान	1,500/- प्रति माह

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर

मद संख्या-06 :- **एक करोड़ योजना 4.0 के तहत सभी 75 वार्डों की योजनाओं की सूची/स्वीकृति देने के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि एक करोड़ योजना के अन्तर्गत 4.0 की योजना की सूची कुछ ही वार्डों से प्राप्त हुई है। मुख्य नगर अभियंता सभी 75 वार्डों को एक करोड़ योजना की सूची भेजने हेतु पत्र द्वारा सूचित कर दें।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सभी माननीय पार्षदों से 4.0 की सूची 15 दिनों के अन्दर प्राप्त कर ली जाय ताकि प्रमंडल के द्वारा प्राक्कलन बनाकर मुख्यालय को उपस्थापित करें। जिससे की अगली बैठक में इन सभी योजनाओं की स्वीकृति दी जा सके।

मद संख्या-07 :- **वार्ड संख्या-50 के मुसल्लहपुर हाट स्थित निगम के भूमि पर वेंडिंग जोन+विवाह भवन निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- मुसल्लहपुर हाट स्थित निगम के भूखंड पर वेंडिंग जोन+विवाह भवन निर्माण का प्रस्ताव है, मुख्य नगर अभियंता, उस भूखंड का सर्वे करा लें एवं उसका प्राक्कलन तैयार कराकर सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में रखें।

श्री राजकुमार गुप्ता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम में म्युनिसिपल बॉण्ड आने वाला है। म्युनिसिपल बॉण्ड की राशि से वेंडिंग जोन एवं बड़े-बड़े सामुदायिक भवन बनना चाहिए, जिससे निगम को आय प्राप्त हो और उसे आय से बॉण्ड की राशि का भुगतान किया जा सके।

नगर आयुक्त :- वेंडिंग जोन के लिए माननीया महापौर, उप-महापौर तथा माननीय पार्षदों से वेंडिंग जोन का प्रस्ताव आना चाहिए। जहाँ निगम की जमीन 100मी0 x 100मी0 जगह उपलब्ध हो। जहाँ जी+4 वेंडिंग का निर्माण कराया जा सके।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, राजेन्द्र नगर स्थित भूखंड पर निगम कर्मियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रह रहे है। उसे खाली कराकर उक्त भूखंड पर वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जा सकता है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- कार्यपालक पदाधिकारी उन कर्मचारियों पर क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? अगर वह सरकार से पदस्थापित है तो उनकी सेवा वापस करने का प्रस्ताव दें।

मद संख्या-08 :- **स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वार्ड में सफाई वाहनों /उपकरणों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- सफाई वाहनों /उपकरणों की सूची उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त(स0) :- माननीय सदस्यों को सूची उपलब्ध करा दिया गया है।

श्री राज कुमार गुप्ता :- माननीया अध्यक्ष महोदया सूची बैठक में अभी प्राप्त करायी गयी है। सूची को देखने से ऐसा लगता है कि सभी वार्डो में वाहनों की स्थिति काफी जर्जर है। स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मुझे जानकारी मिली है कि निगम में सफाई कार्य से संबंधित सभी एजेसियों का निविदा रद्द कर दिया गया है। उन एजेंसियों द्वारा निगम को वाहन, चालक, मानवबल आपूर्ति करना था। निगम में वाहनों का स्थिति जर्जर है। निविदा रद्द करने से आगे का कार्य कैसे होगा?

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग से 04.06.2026 को सफाई से संबंधित नया मार्गदर्शन आया है। इसी कारण निविदा को रद्द किया गया है।

श्री बिनोद कुमार :- नगर आयुक्त महोदय, दिनांक-04.06.2026 को जो मॉडल आर0एफ0पी0 आया है। जो पटना नगर निगम पर लागु नहीं होगा। पत्र को देखने स्पष्ट हो रहा है, जिन नगर निकायो में सफाई एजेंसी से कार्य हो रहा है। उन्हीं नगर निकायो पर यह आदेश प्रभावी है। उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम में सफाई एजेंसी कार्य नहीं कर रही है। निगम का अपना वाहन, सफाई (स्थायी एवं दैनिक) कर्मचारी कार्यरत है। मात्र आउटसोर्सिंग से मानव बल लेते है। अतएव सरकार का यह पत्र पटना नगर निगम पर लागू नहीं होगा।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- बैठक समाप्ति के बाद इस बिन्दु पर अपर नगर आयुक्त, मुख्य नगर अभियंता के साथ आप लोग बैठकर विचार विमर्श कर लें।

अ0मद संख्या-01 :- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु एजेंसी के माध्यम से कार्यरत चालक एवं मानवबल के न्यूनतम मजदूरी के संबंध में।**

अध्यक्ष :- एजेंसी के कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत निगम स्वामित्व वाले वाहनों के परिचालन हेतु चालक, मानवबल की आपूर्ति एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है, जो निम्न है:- 1. M/S Mauryan Kars Auto Services LLP 2. Virtuous India Pvt. 3. M4 Solution Pvt. Ltd इनके कर्मचारियों को श्रम एवं संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1662, दिनांक-28.03.2025 द्वारा अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है एवं मानदेय में वृद्धि की गयी है। जिसके अनुसार श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना दिनांक-01.04.2026 के आलोक में कार्यरत चालक एवं मानवबल की मजदूरी वृद्धि का प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को बताना चाहता हूँ कि एजेंसी के कर्मी (चालक/मानवबल) का मानदेय हम क्यों बढ़ायेंगे। एजेंसी के एकरारनामा के 8.12 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एजेंसी अपने स्वयं के खर्च पर सभी श्रम कानूनों का पालन करेगी और इस संबंध में पटना नगर निगम को सूचित करती रहेगी। मेरा माननना है कि मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम को एजेंसी के साथ किये एकरारनामा के अनुरूप एजेंसी को पत्र के माध्यम से सूचित करना चाहिए।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री राज कुमार गुप्ता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से अपर नगर आयुक्त(सफाई) को बताना चाहता हूँ कि एजेंसी के एकरारनामा के आलोक में संलेख उपस्थापित करना चाहिए था।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, क्या कोई एजेंसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने हेतु आवेदन किया है? क्योंकि मानवबल एजेंसी का है। इस प्रस्ताव को स्थगित किया जाय।

अ0मद संख्या-02 :- नूतन राजधानी अंचलान्तर्गत जल-निकासी कार्य हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के पम्पों के क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- पम्पों के क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम के पत्रांक-3088, दिनांक-29.05.2026 के द्वारा अगामी मानसून के दौरान बारिश के दिनों में अंचल क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव की समस्या के त्वरित निष्पादन हेतु विभिन्न प्रकार के पम्पों के क्रय की अनुमति हेतु अनुरोध के आलोक में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जानी है।

उपरोक्त वर्णित के आलोक में नूतन राजधानी अंचलान्तर्गत जल-निकासी कार्य हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के पम्पों के क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

क्र0	समग्री का नाम	सामग्री की विशिष्टियां	मात्रा/संख्या	वार्ड संख्या	अधिष्ठापन स्थल
1	26 H.P	डीजल	02 अद्द	19	वर्द्धमान के समीप
				21	एस0के0पुरी
2	26 H.P		01 अद्द	28	बुद्धा स्मृति पार्क के समीप
	10 H.P	इलेक्ट्रीक	01 अद्द	19	नहर रोड
	20 H.P		01 अद्द	19	मीठापुर बी0 एरिया

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आगामी वर्षा ऋतु एवं जल-जमाव की समस्या से निपटने के लिए नूतन राजधानी अंचल में डीजल एवं विद्युत चालित पम्प का क्रय किया गया है, जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति देनी है। यह प्रस्ताव जनहित एवं निगमहित में है। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-611:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नूतन राजधानी अंचलान्तर्गत जल-निकासी कार्य हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के पम्पों के क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

क्र0	समग्री का नाम	सामग्री की विशिष्टियां	मात्रा/संख्या	वार्ड संख्या	अधिष्ठापन स्थल
1	26 H.P	डीजल	02 अद्द	19	वर्द्धमान के समीप
				21	एस0के0पुरी
2	26 H.P		01 अद्द	28	बुद्धा स्मृति पार्क के समीप
	10 H.P	इलेक्ट्रीक	01 अद्द	19	नहर रोड
	20 H.P		01 अद्द	19	मीठापुर बी0 एरिया

अ0मद संख्या-03 :- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से हाथ ठेला के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- हाथ ठेला के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से हाथ ठेला के क्रय हेतु प्रति अंचल राशि 5,00,000/-(पाँच लाख) रूपये यानी कुल 30,00,000/-(तीस लाख) रूपये मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जानी है।

क्र0	अंचल	आवंटित की गयी राशि
01.	नूतन राजधानी अंचल	5,00,000/-
02.	पाटलीपुत्र अंचल	5,00,000/-
03	अजीमाबाद अंचल	5,00,000/-
04	बँकीपुर अंचल	5,00,000/-
05	कंकड़बाग अंचल	5,00,000/-
06	पटना सिटी अंचल	5,00,000/-
	कुल	30,00,000/-

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

उपरोक्त वर्णित के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से हाथ ठेला के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम के पटना सिटी अंचल में छोटी-छोटी गलियाँ है। उन गलियों से कचरा उठाने में ठेला काफी मददगार होता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव काफी अच्छा है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित एवं निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-612:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से हाथ ठेला के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी 30,00,000/-(तीस लाख) रू0 राशि की घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

क्र0	अंचल	आवंटित की गयी राशि
01.	नूतन राजधानी अंचल	5,00,000/-
02.	पाटलीपुत्र अंचल	5,00,000/-
03	अजीमाबाद अंचल	5,00,000/-
04	बँकीपुर अंचल	5,00,000/-
05	कंकड़बाग अंचल	5,00,000/-
06	पटना सिटी अंचल	5,00,000/-
	कुल	30,00,000/-

अ0मद संख्या-04 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पेयजल उपभोक्ता से जल उपभोक्ता शुल्क वसूली करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- जल उपभोक्ता शुल्क वसूली का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक-1222, दिनांक-19.08.2021 द्वारा संकल्प के माध्यम से पेयजल उपयोग शुल्क(Water User Charge)नीति, 2021 लागू किया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 128(1) के अन्तर्गत नगर निकायों को

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

जलापूर्ति सेवा के बदले जल उपभोक्ता शुल्क की वसूली की जाती है परन्तु जल उपभोक्ता शुल्क का संग्रहण नहीं किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों, जैसे झारखंड, मध्यप्रदेश आदि में जल उपभोक्ता शुल्क की वसूली की व्यवस्था लागू है, जिसके माध्यम से जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन एवं रख-रखाव का व्यय आंशिक रूप से वहन किया जाता है। इसके अभाव में पटना नगर निगम पर वित्तीय भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार के पत्रांक-1222, दिनांक-19.08.2021 के आलोक में जल उपभोक्ता शुल्क की वसूली हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति /निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, संलेख आज ही मिला है। यह जनहित से जुड़ा प्रस्ताव है। मेरा सुझाव है कि इसे अगली बैठक में रखा जाए एवं दर में संशोधन हेतु सरकार को भी भेजा जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पिछले सत्र में पेय-जल उपभोक्ता शुल्क की वसूली हेतु सशक्त स्थायी समिति से पारित होकर निगम पर्षद में भेजा गया था। निगम पर्षद द्वारा अनुरोध किया गया था कि जनहित में उपभोक्ता शुल्क में परिवर्तन किया जाय। मेरा सुझाव है कि इस पर अगली बैठक में विस्तार से चर्चा की जाय।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव से सहमत हूँ। यह निगम क्षेत्र के नागरिकों से जुड़ा हुआ विषय है। पेय जल शुल्क में संशोधन के लिए भेजा गया है, उसे प्राप्त होने के बाद अगली बैठक में रखें।

अ0मद संख्या-05 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने हेतु विचार-विमार्श करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा-342 के साथ पठित धारा-129(ख) एवं (ग) तथा धारा-421 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 44वीं बैठक दिनांक-19.09.2020 के मद संख्या-06 (प्रस्ताव संख्या-450) तथा दिनांक-24.09.2020 को आहूत निगम पर्षद की 20वीं साधारण बैठक मे मद संख्या-22(प्रस्ताव संख्या-174) के द्वारा ट्रेड लाईसेंस संशोधित विनियम,2020'' को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

उक्त स्वीकृत ट्रेड लाईसेंस संशोधित विनियम2020 के विधिवत अधिसूचना /विनियमन हेतु पटना नगर निगम कार्यालय के पत्रांक-2094, दिनांक-06.02.2021, पत्रांक-235, दिनांक-09.01.2025, पत्रांक-12294, दिनांक-29.08.2025 एवं पत्रांक-466 दिनांक-06.01.2026 के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्राचार किया गया है तथापि उक्त विषय वर्तमान में विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था एवं उससे संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श/निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आये दिन ट्रेड लाईसेंस निर्गत करने के लिए व्यवसाय से जुड़े लोग ट्रेड लाईसेंस की मांग करते हैं। ट्रेड लाईसेंस के आधार पर उन्हें बैंकों से वित्तीय सहायता मिलती है। मेरा सुझाव है कि ट्रेड लाईसेंस निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-613:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद संख्या-06 :- **HUDCO CSR Grant मद से पटना नगर निगम अधीन अंचलों में 12.5 मीटर हाई मास्ट लाईट आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- हाई मास्ट लाईट लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत HUDCO CSR Grant मद से नूतन राजधानी अंचल में 12 अद्द, जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 55,58,229.00(पचपन लाख अंठावन हजार दो सौ उनतीस)रू0 मात्र, कंकड़बाग एवं पाटलिपुत्र अंचल में 12 अद्द, जिसकी प्राक्कलित राशि रू0-55,58,229.00(पचपन लाख अंठावन हजार दो सौ उनतीस)रू0 मात्र, तथा बाँकीपुर अंचल, अजीमाबाद एवं पटना सिटी अंचल में 11 अद्द, जिसकी प्राक्कलित राशि

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

रू0-51,40,042.00(इकावन लाख चालीस हजार बैयालीस)रू0 मात्र अर्थात कुल 35 अद्द 12.5 मीटर हाई मास्ट लाईट आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का प्रस्ताव है तथा HUDCO से Grant प्राप्त करने के लिए HUDCO से एकरारनामा करने हेतु पटना नगर निगम से नोडल पदाधिकारी नामित करने एवं योजना की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री कुमार संजीत :- नगर आयुक्त महोदय मेरे द्वारा इस विषय से संबंधित एक पत्र दिया गया था। मेरा कहना है कि यह विषय जो आज बैठक में रखा गया है। यह टेंडर होने के पूर्व लाना चाहिए था।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्य के पत्र का जवाब मैं विभाग को भेज चुका हूँ। इस पर निर्णय माननीय सदस्यों को लेना है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगम एवं जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय। मेरा सुझाव है कि आगे से कोई भी कार्य नियमानुसार किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-614 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि HUDCO CSR Grant मद से पटना नगर निगम अधीन अंचलों में 12.5 मीटर हाई मास्ट लाईट आपूर्ति एवं अधिष्ठापन एवं एकरारनामा करने हेतु पटना नगर निगम से नोडल पदाधिकारी को नामित करने हेतु नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को प्राधिकृत करने एवं योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★ पटना कारपोरेशन १६५२

श्री बिनोद कुमार :- नगर आयुक्त महोदय को बताना चाहता हूँ कि माननीया महापौर /उप-महापौर के भ्रमण के दौरान जो योजना सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मेरा सुझाव है कि पहले निविदा की कार्रवाई की जाय एवं राशि की कमी है तो 25 प्रतिशत राशि आवंटित कर योजना कार्य की शुरूआत करायी जा सकती है।

श्री कुमार संजीत :- मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सीता साहु
महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए समाप्ति की घोषणा की जाती है।

सीता साहू
2/7/26

(सीता साहू)
अध्यक्ष,
पटना नगर निगम, पटना।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ramashish
20.7.26
नगर सचिव,
पटना नगर निगम,पटना।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION